

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 919(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) यह स्कीम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII अंक) नियम, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाः

- (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अंतर्गत खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता" धारक से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम पर खाता धारित है;
- (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है ;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ड़) "सामान्य नियम" से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 अभिप्रेत है ;
- (च) **"वर्ष"** से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) यहां जो शब्द और वाक्यांश प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम और सामान्य नियमा में दिए गए हैं।
- 3. खातों के प्रकार- (1) लेखा कार्यालय को प्ररूप-1 में एक आवेदन देने पर, निम्नलिखित खाते खोले जा सकते है, अर्थात् :-
- (क) एकल धारक प्रकार का खाता;
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।
- (2) (क) एकल धारक प्रकार का खाता वयस्क द्वारा अपने लिए या किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों को भुगतान योग्य होगा।
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एक धारक या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों में से किसी एक को भुगतान योग्य होगा।
- **4. जमा -** (1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में कितनी भी राशि खाते में जमा की जा सकती है।
- (2) खाता धारक के खाते या खातों में जमा राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- (3) कोई व्यष्टि अनेक खाते खोल सकता है।

- **5 परिपक्वता होने पर भुगतान –** (1) जमा राशि जमा करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होगी। खाता धारक को, लेखा कार्यालय को प्ररूप-2 में एक आवेदन देने पर, परिपक्वता राशि का भुगतान किया जा सकता है।
- (2) 1000 रूपऐ से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य 1462.54 रू0 होगा और पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसार अन्य जमा राशि का अनुपातिक होगा। परिपक्वता मूल्य की संगणना में रूपए की किसी भी भाग राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, 50 पैसे या उससे अधिक राशि को एक रूपया समझा जाएगा और 50 पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) खाता धारक के मॉगने पर लेखा कार्यालय द्वारा ब्याज के वार्षिक प्रोभ्दवन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र के धारक/धारकों को नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज प्रोद्भूत कराया जाएगा और चौथे वर्ष के अंत तक प्रत्येक वर्ष के अंत में जो प्रोद्भूत ब्याज है, धारक की ओर से पुन: विनिहित समझा जाएगा और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की राशि के साथ संकलित किया जाएगा।

सारणी

ब्याज प्रोद्भूत करने का वर्ष	1000 रू. मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज
	की राशि (रूपए में)
पहला वर्ष	75.00
दूसरा वर्ष	85.24
तीसरा वर्ष	91.98
चौथा वर्ष	99.24
पाँचवा वर्ष	107.08

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के अनुपातिक होगी।

- **6 खाता गिरवी रखना –** (1) गिरवीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्ररूप-3 में जमाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर, किसी खाते को गिरवी या प्रतिभृति के रूप में अंतरित किया जा सकता है।
- (2) इस पैरा के अधीन –
- (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर, उनकी आधिकारिक क्षमता में ;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अनुसूचित बैंक या कोई कॉंपरेटिव सोसाइटी जिसमें कॉपरेटिव बैंक सम्मिलित है ;
- (ग) कोई पब्लिक या प्राइवेट कम्पनी या कोई सरकारी कम्पनी ;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या
- (ड़) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवासन वित्तीय सोसाइटी को किसी खाते का अंतरण किया जा सकता है ।

परन्तु इस नियम के अधीन किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से खोले गए खाता का अंतरण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यथास्थिति उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति का संरक्षक लिखितं में यह प्रमाणित नहीं करता कि यथास्थिति वह अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति जीवित है और यह आंतरण उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति की प्रसूविधा के लिए है।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जब किसी खाते का अंतरण किया जाएगा, तब प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें बचत प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात:-

- "------ को प्रतिभूति के रूप में अंतरित किया गया ।"
- (4) इस स्कीम के सिवाय अन्यथा यथा उपबंधित, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरिती को, जब तक उप पैरा (5) के अधीन उसे वापस अंतरित नहीं किया जाता जमाकर्ता समझा जाएगा।
- (5) अंतरिती के लिखित प्राधिकार पर, इस पैरा के अधीन अंतरित कोई खाता, प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के साथ वापस प्रति अंतरित किया जा सकता है और जब ऐसा प्रति अंतरण किया जाएगा तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठाकन करेगा, अर्थात् -
- "----- को प्रति- अंतरित किया गया ।"
- (6) कोई दृष्टिहीन या शारीरिक दौर्बल्य का व्यक्ति जो खाता संचालन करने में असमर्थ है, किसी ऐसे साक्षर व्यक्ति, जिसे इस प्रयोजन के लिए उसने प्राधिकृत किया है, के द्वारा अपनी जमा राशि गिरवी रख सकता है।
- 7. समयपूर्व खाता बंद करना- (1) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर परिपक्वता के पूर्व खाता बंद नहीं किया जाएगा अर्थात-
- (क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक या सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;
- (ख) गिरवीदार द्वारा राजपत्रित अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर, जब गिरवी इन स्कीम के अनुरूप रखी जाती है;
- (ग) न्यायालय के आदेश पर।
- (2) जहां उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व खाता समयपूर्व बंद किया जाता है, केवल मूल रकम ही भुगतान योग्य होगा ।
- (3) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् पंरतु तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व समयपूर्व बंद किया जाता है, समयपूर्व बंद करने की छूट दी जाएगी और खाते के ऐसे समयपूर्व बंद होने पर ब्याज के साथ मूल रकम के बराबर रकम, पूरे मास के लिए जिसमें खाता धारित हो, समय-समय पर डाकधर बचत खाता के लिए लागू दर संदत्त होगी।
- (4) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन खाता खोलने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् समयपूर्व बंद किया जाता है, एक हजार रूपये के जमा के लिए पैरा 5 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सहित और अन्य जमा रकम के लिए आनुपातिक दर पर, नीचे विनिर्दिष्ट सारणी के रूप में संदत्त होगा-

सारणी

1000 रूपए से अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् खोले गए खाते का समयपूर्व बंद मूल्य दर्शित करने वाली सारणी

खाते की तारीख से समयपूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय रकम
	(रूपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या अधिक परंतु तीन वर्ष से कम और छह मास	1221.61
तीन वर्ष और छह मास या अधिक परंतु चार वर्ष से कम	1263.05
चार वर्ष या अधिक परंतु चार वर्ष से कम और छह मास	1305.90
चार वर्ष और छह मास या अधिक, परंतु पाँच वर्ष से कम	1350.20

8. एक व्यक्ति से दूसरे को खाता का अंतरण- एक व्यक्ति से दूसरे को खाता अंतरित इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अंतरिती निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात-

- (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, यथास्थिती रकम विधिक वारिस या नामनिर्देशिती, को अंतरित की जाएगी।
- (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को खाता अंतरित किया जाएगा।
- (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा 6 के अनुसार अंतरित किया जाएगा ।
- (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, यथास्थिति खाता उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों, के नाम पर अंतरित होगा।

9. खाताधारक की मृत्यु होने पर संदाय -

- (1) एकल खाता में निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाता सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में उपयुक्त अतिशेष पैरा (2) से (6) मे विनिर्दिष्ट के अनुसार संदेय किया जाएगा।
- (2) यदि एकल खाता निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाते के सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु के समय नामनिर्देशन प्रवृत्त है, तो नामनिर्देशिती संदाय के लिए लेखा कार्यालय में उपयुक्त अतिशेष के लिए प्ररूप-2 में आवेदन करेगा तथा निक्षेपकर्ता की मृत्यु का प्रमाण और जहां किसी नामनिर्देशिती की भी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे नामनिर्देशिती के मृत्यु के प्रमाण, के लिए आवेदन का प्रयोजन किया जाएगा।
- (3.) यदि दो या दो से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशित हो, तो उपयुक्त अतिशेष निक्षेपकर्ता द्वारा नामनिर्देशन के समय विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार और यदि ऐसा अनुपात या शेयर विनिर्दिष्ट नहीं हो, तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को समान अनुपात में, संदत्त किया जाएगा।
- (4.) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाए, उपयुक्त अतिशेष में उसका विनिर्दिष्ट शेयर सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को यथा विनिर्दिष्ट शेयरों के अनुसार समान अनुपात में वितरित किया जाएगा।
- (5.) जहां उत्तरजीवी नामनिर्देशिती एक अव्यस्क हो, तो ऐसा संदाय निक्षेपकर्ता द्वारा नियत किए गए व्यक्ति को प्राप्त होगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियत नहीं किया गया हो, अव्यस्क के संरक्षक को संदत्त किया जाएगा।
- (6.) यदि किसी निक्षेपकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) में यथा अनुदत्त उसकी विसयत का प्रोबेट या संपदा के प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लेखा कार्यालय जहां उसका खाता है के प्राधिकृत अधिकारी को निक्षेपकर्ता की मृत्यु के छःमास के भीतर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ; ----
- (i) यदि खाते मे उपयुक्त रकम पांच लाख रूपए से अनिधिक होती है तो संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा कार्यालय या प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी जिससे लेखा कार्यालय संबंधित है, उसके समक्ष पेश होने वाला कोई व्यक्ति जो अधिकारयुक्त दावेदार को संदत्त कर सकेगा और उसका समाधान हो जाने पर दावेदार को रकम की प्राप्ति या मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन की हकदारी प्ररूप-2 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :--
- (क) मृत्यु प्रमाणपत्र ;
- (ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन / जमा रसीद
- (ग) शपथ-पत्र ;
- (घ) दावा त्याग पत्र;

- (ङ) क्षतिपूर्ति का बंधपत्र
- (ii) यदि मृत व्यक्ति के खाते की उपयुक्त रकम पांच लाख से अधिक होती है, तो न्यायालय द्वारा जारी 'उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र' के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, दावेदार को लेखा कार्यालय द्वारा रकम संदत्त की जाएगी ; अर्थात् :--
- (क) दावा प्ररूप ;
- (ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन या जमा रसीद ;
- (ग) खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र
- (2) जहां तीन से अनिधक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस नहीं हैं, तो वे अपनी इच्छा से, स्कीम में उपबंधित रीति से खाता चालू रख सकते हैं और परिपक्वता पर ब्याज सिहत जमा रकम प्राप्त कर सकते हैं, मानो उन्होनें खाता स्वंय खोला था।
- (3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता चालू नहीं है, तो उसे बंद किया जाएगा और ब्याज सहित जमा रकम पैरा 7 के उपबंध के अनुसार संदत्त किया जाएगा।
- (4) संयुक्त खाते में एक या दो खातेदारों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों को यदि कोई हो, खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से खाता जारी रख सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं।
- **10 साधारण नियमावली का लागू होना** :-- साधारण नियमावली के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए।
- 11 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो यह आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करके उन उपबंध या उपबंधों को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1 [पैरा 3 का उप पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सवा में	
पोस्टमास्टर / प्रबंधक	
	आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ
महोदय ,	
मैं/हम(खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघ जारी) स्कीम के अधीन एक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं ।	र / बैंक में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VII
मै/हम प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख रुपए नकद/चेक/ में(रु) निविदा करते है। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार	

1.	प्रथम जमाकर्ता	
	पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष)
		(शब्दों में)
2.	दूसरा जमाकर्ता	
	पति / पिता / माता का नामजन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
3.	तीसरा जमाकर्ता	
	पति/पिता/ माता का का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
4.	अवयस्क/विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का नाम	
	पिता /माता / अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
5.	खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या	

6.	खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता	संख्या (पै	न)
7.	वर्तमान पता		
	स्थायी पता		
8.	संपर्क विवरण		टेलीफ़ोन का नंबर
			मोबाइल नंबर ईमेल
			आईडी
9.	खाता का प्रकार		व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या निशक्त लिए अभिभावक के माध्यम से या एकल या संयुक्त ।
10	. (*)अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण (अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
	क) प्रमाण पत्र नं.		
	ख) जारी करने की तिथि ग) जारी करने वाला प्राधिकरण		
11.	. (*) अभिभावक का नाम (प्राकृतिक/विधिक) (यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला जाता है)		
12	. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संल	ग्न	1. पहचान का प्रमाण
			······
			2. पते का सबूत

पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी जाब कार्ड 5. नाम और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र;

13. ख	ाते का संचालन होगा:-	(5	(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या जीवित धारक/धारकों ।			
(संय ुत्त	ज्ञाते के मामले में)	(₹	(ख) धारक/धारकों, या जीवित जमाकर्ता/ जमाकर्ताओ के द्वारा,			
14. मे	रा/हमारा नमूना हस्ताक्ष	र				
1. 1.	2222	3	3	(नाम) (नाम)		
	य-समय जारी किए गए _{ठरता} हूं।.	संशोधनों और स्कीम प	र लागू सरकारी बच	त संवर्धन नियमों -2	2018 और स्की	म के उपबंधों को
			खाता नामनिर्देशन	धारक/अभिभावक ^{हे}	-	अंगूठे का निशान
16.मैं/इ	हम				नीचे उल्लेगि	बेत व्यक्ति (ओं)
को नाम	गनिर्देशित करते हैं, जिन्हे					
समय र	ाष्ट्रीयबचत प्रमाण पत्र(\	/।।। जारी) में ऋण देय	होगा।			
क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम (पते) और संबंध	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार नंबर (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशित व्यक्ति की जन्म तिथि	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यास कर्ता या स्वामी)
1						
2						
3						
4						
	संख्या है/अवयस्कहैं(हैं),मैंश्री/श्री ो		नियुक्त करता हूं		/ क	ग/पुत्र, का/पुत्री,

	नाता (ओं) के अल्पसंख्यक के दौरान मेरी मृत्यु की
स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।	, ,
1. गवाह के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
2. गवाह के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
	खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
स्थान	
तारीख :	
पोस्ट ऑफिस/बैंक के उ	
	तारीख खाता संद्वारा (स्कीम का
नाम)के अधीनरपये के आरंभीक जमा के साथ	को खोला गया है।
ग्राहक पहचान संख्या	
नामांकन को तारीख संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया ग	या है।
	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।
प्ररूप-2	
[पैरा 5 के उप-पैरा	• • •
(खाता बंद करने के वि	लेए आवेदन)
डाकघर/बैंक का नाम	
तारीख	
खाता संख्या	
1. मैं / हम पास बुक / जमा रसीद जमा करते हैं और	पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते
 को बंद करने के लिए आवेदन करते हैं।	
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष राशि का श्रेय	(खाता कार्यालय का नाम) पर
खड़े मेरे एसबी खाता संख्या को	दें।
या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी चेक जारी करें या	
या कृपया नकद में भुगतान करें (यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है तो	ਕਾਸ਼ਾ\
	•
* प्रमाणित किया जाता है कि खाते में आयोजित राशि	के उपयोग के लिए
आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।	
	खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(अंगूठे के निशान को लेखा कार्याल	य में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश

√	,	_	$\overline{}$	C ,
(कवल	कार्यालय	उपयोग	क	लिए)

		तारीख
	भुगतान का विवरण	
मूल राशि रुपये		
(+)ब्याज देय रुपये		
(-) अधिदत्त ब्याज की वसूली	रुप	ाये
यदि कोई कटौती है		रुपये
देय कुल राशि	হ	पये
भुगतान	रुपये (आंकड़ों में)	(शब्दों में)
स्थान :		
तारीख :		
	पोस्टमास्टर/मैनेजर के हर	. ताक्षर
	निस्तारण पत्र	
	(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग		सं
		। नहीं
तारीख	खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का	निशान

प्ररूप-3

[पैरा6 के उप-पैरा (1) देखें] (खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)

सेवा में,				
पोस्टमास्टर/प्रबंधक				
महोदय,				
 1.		(सरकार के राजपत्रित	अधिकारी का कार्यालय पदनाम या	
		·	, एक सरकारी कंपनी या स्थानीय	
	*	= -	को जमा करने की अपेक्षा करते है ।	
	• •		नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति	
	·	·	प बचत प्रमाणपत्र (VIII जारी) के	
	् ता संख्या में जमा को अन्तरित	**	,	
		•		
		का विवरण		
खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि	
		लेए सहमति व्यक्त की है। प्रतिइ	ा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा	
हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति र	नलग्न ह।			
तारीख: खाते के हस्ताक्षर धारक /अभिभावक(कों)				
पता				
केवल कार्यालय उपयोग के लिए				
खाता संख्या	को पंजीकरण संख्य	т	दिनांकित	
और आवश्यक प्रविष्टियों को रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया है। पासबुक / जमा रसीद / खाते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ				
चिह्नित किया गया है और ख	ाताधारक को वापस कर दिया	गया है.		
			पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर सील	
	NOTIF	FICATION		
	New Delhi, the 1	12th December, 2019		
		rs conferred by section 3A nment hereby makes the fol	of the Government Savings lowing Scheme, namely:-	
1. Short title and comm Issue) Scheme, 2019.	encement(1) This Schen	ne may be called the Natio	onal Savings Certificates (VIII	
	o force on the date of its pu	blication in the Official Gar	zette.	

- 2. **Definitions.-** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - "account" means an account opened under this Scheme; (a)

 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.
- **3. Type of accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely:-
 - (a) Single Holder Type Account;
 - (b) Joint A- Type Account; and
 - (c) Joint B Type Account.
 - (2) (a) A Single Holder Type Account may be opened by an adult for himself, or on behalf of a minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian; or by a minor who has attained the age of ten years;
 - (b) Joint A- Type Account may be opened jointly in the names of upto three adults payable to all the holders jointly or to the survivor or survivors;
 - (c) Joint B-Type Account may be opened jointly in the name of upto three adults payable to any of the account holders or to the survivor or survivors.
- **4. Deposits.-**(1) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account.
- (2) There shall be no maximum limit for deposit in an account or in accounts held by an account holder.
- (3) An individual may open any number of accounts.
- **5. Payment on Maturity.-** (1) The deposit shall mature on completion of five years from the date of the deposit. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- (2) The maturity value of an account opened with one thousand rupees shall be One thousand four hundred sixty two rupees and fifty four paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per subparagraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (3) A certificate of annual accrual of interest shall be issued by the accounts office, on demand, to the account holder. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of 1000 rupees denomination
First Year	79.00
Second Year	85.24
Third Year	91.98
Fourth Year	99.24
Fifth Year	107.08

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the said Table.

- **6**. **Pledging of account.-** (1) An Account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-3 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this paragraph may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this rule unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this paragraph may, on written authority of the transferree, be re-transferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including Certificate, namely:-

"transferred back to.....".

- (6) A blind or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **7. Premature closure of account.-**(1) The account shall not be closed before maturity except in the following cases, namely:-
- (a) on the death of the account holder in a single account, or any or all the account holders in a joint account;
- (b) on forfeiture by a pledgee being a Gazetted Officer, when the pledge is in conformity with this Scheme;
- (c) when ordered by a court.
- (2) Where an account is prematurely closed under sub-paragraph (1) before the expiry of one year from the date of deposit, only principal amount shall be payable.
- (3) If the account is prematurely closed under sub-paragraph (1) after the expiry of one year but before the expiry of three years from the date of deposit, the premature closure shall be allowed and on such premature closure of the account interest on principal amount at the rate applicable to the Post Office Savings Account from time to time for the complete months for which the account has been held, shall be payable.
- (4) If an account is prematurely closed under sub-paragraph (1) after the expiry of three years from the date of the opening, the amount payable, inclusive of interest accrued under paragraph 5 for a deposit of one thousand rupees and at a proportionate rate for other amounts of deposits, shall be as specified in the table below:-

TABLE
(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1000 rupees)

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1221.61
Three years and six months or more, but less than four years	1263.05
Four years or more, but less than four years and six months	1305.90
Four years and six months or more, but less than five years	1350.20

- **8.** Transfer of account from one individual to another.- An account may be transferred from one individual to another, subject to the condition that the transferee is eligible to open an account under this Scheme, in the following cases, namely:-
 - (i) on the death of account holder in case of a single account or on the death of all the account holders in a joint account, the amount shall be transferred to the legal heirs or the nominees as the case may be.
 - (ii) on the order of the court, the account shall be transferred from the account holder to the court or to any other individual as per the orders of the court;
 - (iii) on pledging, account shall be transferred in accordance with paragraph 6;
 - (iv) in the event of the death of any of the account holders in a joint account, the account shall be transferred in the name of the surviving account holder or account holders, as the case may be.
- **9.** Payment on the death of account holder.-(1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the eligible balance in the account shall be payable as specified in paragraphs (2) to (6).
- (2) If a nomination is in force at the time of death of the depositor of a single account or all the depositors of a joint account, the nominee may make an application in Form-2 to the accounts office for payment of the eligible balance and the application shall be accompanied by the proof of death of the depositor, and where any other nominee has also died, the proof of death of such nominee.
- (3) If there are two or more surviving nominees, the eligible balance shall be paid in the proportion as specified by the depositor while making the nomination, and if no such proportion or share is specified, then in equal proportion to all the surviving nominees.
- (4) If any nominee dies, his specified share in the eligible balance shall be distributed among the surviving nominees in the same proportion as their specified shares.
- (5) Where the surviving nominee is a minor, the payment shall be made to a person appointed by the depositor to receive such payment and, if no such person has been appointed, to the guardian of the minor.
- (6) If a depositor dies and there is no nomination in force at the time of his death, and probate of his will or letters of administration of his estate or a succession certificate as granted in the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) is not produced within six months from the death of the depositor to the authorised officer of the accounts office where the account stands, then,-
- (i) if the eligible amount in the account does not exceed Rs. 5 lakh, the authorised officer of the accounts office or the authority specified by the institution to which the accounts office belongs, may pay the same to any person appearing to him as the rightful claimant and to his satisfaction to be entitled to receive the amount or to

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 117

administer the estate of the deceased, on an application in Form-2 accompanied by the following documents; namely:-

- (a) death certificate;
- (b) pass book or deposit receipt/statement of account in original;
- (c) Affidavit;
- (d) letter of disclaimer;
- (e) Bond of Indemnity;
- (ii) if the eligible amount in the account of the deceased is above Rs. 5 lakh, the amount shall be paid by the accounts office to the claimant on submission of 'Succession Certificate' issued by the court along with the following documents; namely:-
 - (a) claim form;
 - (b) pass book or deposit receipt or statement of account in original;
 - (c) death certificate of the account holder.
- (2) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option, continue the account and receive the amount of deposit along with interest on maturity in the manner provided for in this Scheme, as if they had opened the account themselves.
- (3) Where the account is not continued under sub-paragraph (2), it shall be closed and the amount of deposit along with interest as provided in paragraph 7 shall be paid.
- (4) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account or close the account in the manner specified under sub-paragraph (3).
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- 11. Power to relax.-Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

Γο	
The Postmaster/Manager	Paste photograph of applicant/s
Sir,	

I/We(account holder(s)/guardian) hereby apply for opening of an account under National Savings Certificates (VIII issue) scheme in your Post Office/Bank.

	re tender herewith					
NO		nai deposit. My/our particulars are	as under:-			
1.	Name of First Depositor					
	Husband/Father /mother's name	or Guardian appointed by Court				
	Date of Birth					
		(DD / MM / '				
		(In words)				
2.	Name of Second Depositor					
	Husband/Father /mother's name					
	Date of Birth	(DD / MM / Y				
		•				
		,				
3.	Name of Third Depositor					
	Husband/Father /mother's name					
	Date of Birth					
	Dute of Birth	(DD / MM / '	YYYY)			
		(In words)				
4.	Name of minor/person of unsoun	d mind account holder				
	Father /mother/guardian's name					
	Date of Birth					
		(DD / MM / Y	•			
		(In words)				
5.	Aadhaar Number of account hold	ler(s)				
6.	Permanent Account Number					
_						
7.	Present Address					
	Permanent Address					

8.	Contact details		Telephone Number
			Mobile Number
			Email ID
9.	Type of Account		Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.
10.	(*) Details of date of birt (Applicable in case of m		
	a) Certifica		
	b) Date of I	Issue	
	c) Issuing a	nuthority	
11.	(*) Name of Guardian (N (In case the account is op Minor/person of unsound	pened on behalf of a	
12.	Details of other KYC do	ocuments attached	1. Proof of identification
			2. Address proof
13.	address proof: 1. Passpo	ort 2. Driving license and officer 5. Letter ress; ount will be:-	valid documents for the purpose of identification and 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed issued by the National Population Register containing (a) By all the holders together or the surviving (b) By either of the holder/s, or the surviving
14	My/our specimen Signat	ures	
	ame)		3.,
1	ame)	2	3
1	ame)	2	3
1	ame)	2	3

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

	Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian					rdian	
	Date:						
			Nomination				
the exc	clusion of all other	persons in the eve	hereby nominate ent of my death the f my death would be	amount standing			
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Natur entitle Truste owr	ement ee or
1							
2							
3							
4							
appoin Shri/Sı	t nt/Kumari	Addres	S/o,	D/o,W/o			
		•	h during the minority	of the nominee	(s).		
•							
•							
			Cianatana anthum	h :		. n(a) / ~	
Place:			Signature or thum	io impression or	account noide	r(s)/gua	Tulan
Date:							
		For u	se of Post Office/Ba	ınk			
T	he account has been		e of		on		with
initial		-	deposit				of
			dated		(name	of	the

Nomination	has	been	registered	vide
No	dat	ed	e	
Signature and seal of o	competent authority			
		F0D14 4		
	[Çaa suk	FORM - 2 o-paragraph (1) of para	graph 51	
		ication for closure of ac		
	(P F-			
Name of Post Office	e/Bank		Date	
Account Number				
1. I/we here account matured on	-	k/deposit receipt and app	oly for closure of my/our abov	e mentioned
		at	matured account to my S(Name of Account office)	
Please issue a Demand	d Draft/account paya	Of e cheque		
riease issue a Demand	d Diaivaccount paye	or		
Please pay in cash (ap	plicable if the amour	nt is below permissible li	mit).	
*Certified, that		eld in the account is alive and still a Minor.	is required for the	use of
(Thumb impression sh	nould be attested by a	Signature or thum a person known to Accou	b impression of account holder	r(s)/guardian
		Payment Order		
		(For office use only)		
			Date	
	_	Payment detail		
Principal amoun	t Rs			
(+) Interest due	Rs			
(-) Recovery of o	overpaid interest Rs	i <u>. </u>		

Deduction if an	y Rs	
Total Amount d	lue Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
		Signature of Postmaster/Manager
	Acquittano	ee
	(to be filled by de	positor)
Received Rs	(In figures) dated	(in words) By cash/cheque/DD bearing ./by transfer to Account No
Date:	Signature/thumb impression	of account holder(s)/guardian
	FORM - 3	
	[See sub-paragraph (1) o	
	(Application for pledging	g of account)
То		
The Postmaster/Mana	iger	
Sir,		
Rsthe gazetted officer Cooperative Bank, Authority). I/We the under National	as security with	sue) as security in favour of (Official Designation of the Officer or name of
	nat the account(s) can be encashed by the stration numberin the	he pledgee when the security has been forfeited account stands cancelled.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 123

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Dated:		Sign	Signature of account holder(s)/guardian			
		Add	lress			
For o	office use or	nly				
Account number and number and Passbook/deposit receipt/statement of account has holder.	necessary		have been	marked in		

Signature of Post Master/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 920(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा:
- (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो वह व्यष्टि अभिप्रेत है;
- (ग) **''अधिनियम''** से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संग्लन प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) **"साधारण नियम"** से सरकारी बचत संवधन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है।
- (च) "**वर्ष**"से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।